न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–175 / 2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मो0 सदरे आलम

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
29/1/2020	आदेश	

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–712 / म0नि0को, दिनांक–28.07.2019 से प्राप्त मनीगाछी थाना कांड सं0–30 / 19 दिनांक 25.02.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन टेम्पु निबंधन सं0–BR32PA-2136 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी मो0 सदरे आलम, पिता–अतिकुल्लाह को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल हैं, जो अभिलेख पर संधारित है। परन्तु कारण पृच्छा दाखिल करने के उपरान्त लगातार अनुपस्थित हैं। इसलिए एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को गुप्त सूचना मिली कि एक टेम्पु पर अवैध शराब लेकर NH-57 से आ रहा है। उक्त सूचना पर राजे ब्रह्मस्थान के पास NH-57 फोर लेन सड़क पर चेकिंग शुरू किया गया। चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक टेम्पु रजि0 नं0– BR32PA-2136 आ रही है, जिसे रोक कर तलाशी लेने लगे तो टेम्पु में से एक उजला बोरा में पीला रंग का डिब्बा में करीब 15 लीटर देशी शराब बरामद हुआ, जिसे दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत उक्त टेम्पु के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा में कथन है कि जब्त टेम्पु के विरूद्ध राज्यसात् की कार्रवाई संबंधी यह वाद पोषणीय नहीं है। उक्त टेम्पु का विदेशी शराब में संलिप्ता बिलकुल गलत है। विपक्षी के वाहन से काई विदेशी शराब बरामद नहीं हुआ है। अतः दाखिल कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए इस वाद को समाप्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन टेम्पु रजि0 सं0–BR32PA-2136 से चौर्य व्यापार की नीयत से परिवहन करने के क्रम में 15 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किया गया। जिसे विधिवत् पुलिस बल द्वारा जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल करने के उपरान्त लगातार अनुपस्थित हैं। दाखिल कारण पृच्छा में अंकित किया गया है कि उक्त वाहन से कोई विदेशी शराब बरामद नहीं हुआ है। जबकि प्राथमिक एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी से स्पष्ट है कि उक्त वाहन से 15 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुआ है, जिसे दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् जब्त किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में मनीगाछी थाना कांड सं0–30/19 दिनांक 25.02.2019 में जब्त वाहन टेम्पु निबंधन सं0–BR32PA-2136 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा	समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा